**भारत सरकार**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

अतारांकित प्रश्न सं0 18

22-11-2011 को उत्तर के लिए

**'' पॉस्को को पर्यावरणीय स्वीकृति ''**

**18 : श्री परिमल नथवानी :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया की एक बड़ी इस्पात कंपनी पॉस्को को ओडिशा में अपनी परियोजना हेतु वन भूमि को वाणिज्यिक उपयोग हेतु परिवर्तित करने के लिए अंतिम स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह स्वीकृति स्थानीय लोगों द्वारा इस परिवर्तन का विरोध किए जाने के बावजूद दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार वनों के इस विनाश की भरपाई करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ओडिशा में जगतसिंहपुर जिले में मैसर्स पॉस्को-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक एकीकृत इस्पात संयंत्र और कैप्टिव पोर्ट की स्थापना हेतु 1253.225 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिनांक 4 मई 2011 को चरण-।। का अनुमोदन प्रदान किया है । स्थानीय निवासियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर उचित रुप से विचार करने के पश्चात उक्त अनुमोदन प्रदान किया गया था ।

(घ) वनों की क्षति विनाश की भरपाई करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उक्त वन भूमि के अपवर्तन हेतु प्रदत्त अनुमोदन में निम्नलिखित शर्तें अनुबद्ध की गई है :

1. प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 1156.681 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि और 127.4 वनेत्तर भूमि को अभिज्ञात व अधिगृहित करेगा जिसे राज्य वन विभाग के पक्ष में परिवर्तित किया जाएगा ।
2. प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हेतु अभिज्ञात राजस्व वन भूमि और वनेत्तर भूमि को राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अंतर्गत आरक्षित वन अथवा स्थानीय वन अधिनियम की संगत धारा (धाराओं) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा ।
3. प्रयोक्ता अभिकरण, प्रतिपूरक वनीकरण की लागत को राज्य वन विभाग को हस्तांतरित करेगा ।
4. जहां भी संभव हो और तकनीकी रुप से संभव हो, प्रयोक्ता अभिकरण, परियोजना की लागत पर राज्य वन विभाग के साथ परामर्श से अनुमोदन के तहत स्थानीय समुदाय की भागीदारी से पट्टा क्षेत्र में रिक्त स्थानों में और उसके साथ-साथ, अपवर्तित पट्टा क्षेंत्र के बाहर मार्गों के समानांतर क्षेत्रों में वनीकरण उपाय करेगा ।
5. विशेष रुप से परियोजना की लागत पर जगतसिंहपुर जिले और इरासामा प्रखंड में व्यापक सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं ।
6. मैसर्स पॉस्को-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वन विभाग के साथ परामर्श से अनुमित पट्टा क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र के अंदर वनीकरण कार्य करेगा ।
7. प्रयोक्ता अभिकरण ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जिले में निर्धारित और निर्दिष्ट की जाने वाली खुली, अवक्रमित वन भूमि की समान राशि की, पुनरुदभव की लागत को वहन करेगा।

\*\*\*\*\*\*\*